अनुबंध : एनबीएफ़सी के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ

सामान्य

1. नीचे निर्दिष्ट प्रकटीकरण के प्रारूप एनबीएफसी की सभी श्रेणियों (यानी निवेश और क्रेडिट कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, कोर निवेश कंपनियां, आदि) के लिए सामान्य टेम्पलेट हैं। अलग-अलग एनबीएफसी उन लाइन आइटम/प्रकटीकरण को छोड़ सकते हैं जो चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों में लागू नहीं हैं/अनुमति नहीं हैं या कोई एक्सपोजर/कोई लेनदेन नहीं है।

2. यह ध्यान दिया जाए कि प्रकटीकरण टेम्प्लेट में केवल किसी गतिविधि, लेनदेन या आइटम का उल्लेख करने का मतलब यह नहीं है कि इसकी अनुमति है, तथा एनबीएफसी किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमति या अन्यथा निर्धारित करते समय मौजूदा वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का उल्लेख करेंगे।

3. एनबीएफसी वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई सभी राशियों के लिए पिछली अवधि के संबंध में तुलनात्मक जानकारी का खुलासा करेंगे। इसके अलावा, यदि वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है तो एनबीएफ़सी विवरणात्मक और वर्णनात्मक सूचना के लिए तुलनात्मक सूचना शामिल करेंगे।

प्रकटीकरण टेम्पलेट्स

भाग I

(एनबीएफसी-बीएल, एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए लागू)

क) एक्सपोज़र

1) स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र

(राशि रु. करोड़ में)

श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र क) आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा– वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। ग) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र में निवेश – i. आवासीय ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा *ii)* अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र		
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र		

2) पूंजी बाज़ार के लिए एक्सपोज़र

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण[1]	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है		
ii) शेयरों / बान्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बान्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को क्लीन आधार पर दिए गए अग्रिम		
iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है		
iv) शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है।		
v) स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और गैर-प्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां		

[1] एनबीएफसी उन लाइन आइटमों को छोड़ सकते हैं जो लागू नहीं हैं/अनुमति नहीं हैं या जिनका चालू और पिछले वर्ष दोनों में शून्य एक्सपोजर है। इसके अलावा, किसी कंपनी के प्रमोटरों द्वारा शेयरों को गिरवी रखने के प्रति एक्सपोजर को संबंधित लाइन आइटम के तहत अलग से दिखाया जाएगा।

.विवरण.[1]	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
vi) शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत के प्रति कार्पोरेट को मंजूर या संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए क्लीन आधार पर प्रदान किए गए ऋण		
vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण		
viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एनबीएफसी द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।		
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोष		
x) वैकल्पिक निवेश कोष के प्रति सभी जोखिम: (i) श्रेणी I (ii) श्रेणी II (iii) श्रेणी III		
पूंजी बाजार के प्रति कुल एक्सपोजर		

3) क्षेत्रवार एक्सपोजर

क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (इसमें ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है) (रु. करोड़)	सकल एनपीए (रु. करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (इसमें ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है) रु. करोड़)	सकल एनपीए (रु. करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप						
2. उद्योग						
i.…						
ii.…						
अन्य						
उद्योग का कुल (i+ ii + … + अन्य)						
3. सेवाएँ						
i…						
ii…						
अन्य						
सेवाओं का कुल (i+ ii + … + अन्य)						
4. वैयक्तिक ऋण						
i…						
ii…						
अन्य						
वैयक्तिक ऋणों का कुल (i+ ii + … + अन्य)						
5. Others, if any (please specify)						

टिप्पणी :

i. उपरोक्त प्रकटीकरण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत और रिज़र्व बैंक द्वारा 'बैंक क्रेडिट की क्षेत्रीय परिनियोजन' के रूप में प्रकाशित क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होंगे।

ii. उपरोक्त प्रकटीकरण में, यदि किसी क्षेत्र के भीतर, किसी विशिष्ट उप-क्षेत्र/उद्योग में एक्सपोजर किसी एनबीएफसी की टीयर I पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो इसका खुलासा उस क्षेत्र के भीतर अलग से किया जाएगा। इसके अलावा, एक क्षेत्र के भीतर, यदि विशिष्ट उप-क्षेत्र/उद्योग में एक्सपोजर टियर I पूंजी के 10 प्रतिशत से कम है, तो ऐसे एक्सपोजर को उस क्षेत्र के भीतर "अन्य" के रूप में जोड़ा और प्रकट किया जाएगा।

4) अंतर-समूह एक्सपोजर

एनबीएफसी पिछले वर्ष की तुलना के साथ चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण करेंगे :

i) अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि

ii) शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि

iii) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत

5) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

एनबीएफसी को अपने अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के ब्योरे का खुलासा करना चाहिए। इसके अलावा, यह मुद्रा प्रेरित जोखिम के प्रबंधन के लिए उनकी नीतियों का भी खुलासा करेगा।

ख) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(राशि रु. करोड़ में)

संबन्धित पार्टी / मदें	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)		अनुषंगी		एसोसिएट / संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार @		अन्य *		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
उधार #														
जमाराशि #														
जमाराशि का नियोजन #														
अग्रिम राशि #														
निवेश #														
अचल / अन्य आस्तियों की खरीद														
अचल/अन्य आस्तियों की बिक्री														
चुकता ब्याज														
प्राप्त ब्याज														
अन्य *														

@ अन्य केएमपी और अन्य केएमपी के रिश्तेदारों से अलग निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों से संबन्धित प्रकटीकरण अलग कॉलम में दिया जाना चाहिए।

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का खुलासा किया जाना है

* यदि आइटम के लिए कुल संबंधित पार्टी लेनदेन के कुल की *5* प्रतिशत से अधिक है तो आइटम निर्दिष्ट करें। संबंधित पक्षों में ट्रस्ट और अन्य निकाय शामिल होंगे जिनमें एनबीएफसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (अपने संबंधित पक्षों के माध्यम से) नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

1. संबंधित पक्ष, उपरोक्त प्रकटीकरण के संदर्भ में, में लागू लेखा मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा, संबंधित पक्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित निम्नलिखित संबंधित पक्ष भी शामिल होंगे।
   - i. *निदेशक या उनके रिश्तेदार;*
   - ii. *प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार;*
   - iii. *एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या उनके रिश्तेदार भागीदार है;*
   - iv. *कोई निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है;*
   - v. *कोई सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक उस कंपनी के निदेशक है या अपने रिश्तेदारों के साथ उस कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से ज्यादा का धारण करता है;*
   - vi. *कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का आदी है;*
   - vii. *कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेश या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी हो।*

   *बशर्ते कि खंड (*vi) *और (*vii) *में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निदेशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा;*

2. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कम से कम निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक शामिल होंगे।*
   - i. *मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक*
   - ii. *कंपनी सचिव*
   - iii. *पूर्णकालिक निदेशक*
   - iv. *मुख्य वित्त अधिकारी*
   - v. *ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नहीं हों, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित किया गया हो; तथा*
   - vi. *ऐसा अन्य अधिकारी जो निर्धारित किया जा सकता है*

3. *केएमपी के रिश्तेदारों में न्यूनतम कंपनी अधिनियम*, 2013 *की धारा* 2 (77) *और कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम*, 2014 *के नियम* 4 *के तहत परिभाषित निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे।*
   - (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;
   - (ii) वे पति और पत्नी हैं; या
   - (iii) एक व्यक्ति दूसरे से इस तरह से संबंधित है जैसा कि निर्धारित किया गया है;

   एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित तरीके से दूसरे से संबंधित है, अर्थात्::-

   (1) पिता; बशर्ते कि "पिता" शब्द में सौतेला पिता शामिल है।

   (2) माँ : बशर्ते कि "माँ" शब्द में सौतेली माँ शामिल हो।

   (3) बेटा : बशर्ते कि "बेटा" शब्द में सौतेला बेटा शामिल हो।

   (4) बेटे की पत्नी

   (5) बेटी

   (6) बेटी का पति

   (7) भाई : बशर्ते कि "भाई" शब्द में सौतेला भाई शामिल हो

   (8) बहन : बशर्ते कि "बहन" शब्द में सौतेली बहन शामिल हो।

ग) शिकायतों का प्रकटीकरण

1) एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.		ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
	3.1	जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या		
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
	एनबीएफसी द्वारा लोकपाल कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5.*		एनबीएफसी को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.2	5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या		
6.*		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णयों के अलावा)		
नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं। * यह केवल उन एनबीएफ़सी पर लागू होगा जो रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत शामिल हैं				

2) एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार[2]

शिकायतों के आधार, (अर्थात; को संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में% वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	वर्तमान वर्ष				
आधार - 1					
आधार - 2					

[2] नीचे दिए गए शिकायतों के आधार केवल संकेतात्मक है.

1. क्रेडिट कार्ड	2. खातों के परिचालन में कठिनाई	3. मिस-सेलिंग	4. वसूली एजेंट/सीधी बिक्री एजेंट
5. ऋण या अग्रिम	6. बिना किसी पूर्व सूचना के /अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोज़र शुल्क लगाना	7. उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	8. स्टाफ आचरण
9. कार्यालय में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं / निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि।	10. अन्य		

शिकायतों के आधार, (अर्थात; को संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में% वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार – 5					
अन्य					
कुल					
पिछले वर्ष					
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार – 5					
अन्य					
कुल					

भाग II

(एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए लागू)

क) कार्पोरेट अभिशासन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध) विनियम, 2015 (अनुसूची V का पैराग्राफ सी - वार्षिक रिपोर्ट) समय-समय पर संशोधित, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट अभिशासन पर भाग में किए जाने वाले प्रकटीकरण को निर्दिष्ट करता है। कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के संबंध में, गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी को भी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण प्रकटीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी को वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट अभिशासन सेक्शन के तहत कम से कम निम्नलिखित का खुलासा करना चाहिए।

1) बोर्ड की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का नाम	से निदेशक	क्षमता (अर्थात कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक/ अध्यक्ष/ प्रोमोटर नामिती/ स्वतंत्र)	डीआईएन	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य निदेशकों की संख्या	पारिश्रमिक			एनबीएफसी में धारित शेयरों और परिवर्तनीय लिखतों की संख्या
					आयोजित	उपस्थित		वेतन और अन्य मुआवजा	बैठक शुल्क	कमीशन	

चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का विवरण।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	क्षमता (अर्थात कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/अध्यक्ष/ प्रोमोटर नामिती/ स्वतंत्र)	परिवर्तन का स्वरूप (इस्तीफा, नियुक्ति)	प्रभावी तारीख

जहां एक स्वतंत्र निदेशक अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे देता है, उसके द्वारा दिए गए इस्तीफे के कारणों का खुलासा करें।

निदेशकों के बीच किसी भी संबंध के विवरण का खुलासा करें

2) बोर्ड की समितियां और उनकी संरचना

i. बोर्ड की समितियों के नाम बताइए।

ii. प्रत्येक समिति के लिए, संक्षेप में संदर्भ की शर्तों का उल्लेख करें और निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से समिति का सदस्य	क्षमता (अर्थात कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/अध्यक्ष/ प्रोमोटर नामिती/ स्वतंत्र)	समिति की बैठकों की संख्या		एनबीएफ़सी में धारित शेयरों की संख्या
				आयोजित	उपस्थित	
1.			अध्यक्ष			
2.						

3) साधारण सभी की बैठकें

साधारण सभा की तारीख, जगह और पारित विशेष संकल्प का ब्योरा दें

क्र.सं.	बैठक का प्रकार (वार्षिक/असाधारण)	तारीख और स्थान	पारित किए गए विशेष संकल्प

4) कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन का विवरण

लेखा और सचिवीय मानकों के अनुपालन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुपालन में किसी भी चूक का विवरण और कारण दें।

5) दंड और सख्ती का विवरण

एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा उस पर लगाए गए दंड या सख्ती के विवरण का खुलासा करना चाहिए।

ख) अनुबंध का उल्लंघन

लिए गए ऋण या जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के अनुबंध के उल्लंघन के सभी मामलों का एनबीएफसी को खुलासा करना चाहिए।

ग) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

एनबीएफसी नीचे दी गई तालिका के अनुसार विचलन के विवरण का खुलासा करेंगे, यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो:

क) आरबीआई (या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)) द्वारा मूल्यांकन की गई अतिरिक्त प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं संदर्भ अवधि के लिए वित्तीय साधनों पर कर और क्षत हानि से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक हैं, या

ख) आरबीआई/एनएचबी द्वारा पहचान किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

क्र.सं.	**ब्योरा**	**राशि**
1.	एनबीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 20XX* को सकल एनपीए	
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार 31 मार्च, 20XX को सकल एनपीए	
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	
4.	एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट किए गए के अनुसार 31 मार्च, 20XX को शुद्ध एनपीए	
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार 31 मार्च, 20XX को निवल एनपीए	
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	
7.	एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	
8.	भारतीय रिजर्व बैंक/एनएचबी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 20XX को एनपीए के लिए प्रावधान	
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	
10.	मार्च 31, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय साधनों पर कर पूर्व लाभ और हानि से पहले रिपोर्ट किया गया लाभ	
11.	मार्च 31, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ	
12.	प्रावधान में विचलन पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ (पीएटी)	

* विचलन के मूल्यांकन के संबंध में संदर्भ अवधि की समाप्ति 31 मार्च 20xx है।

भाग III

(एनबीएफसी-यूएल के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए लागू)

क) एनबीएफसी-यूएल के लिए प्रकटीकरण

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एसबीआर ढांचे के अनुसार, एनबीएफसी-यूएल को एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान किए जाने के तीन साल के भीतर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। तदनुसार, एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचाने जाने पर, गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी-यूएल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत एक सूचीबद्ध कंपनी की प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रोडमैप तैयार करेंगे।